रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 258] नई दिल्ली, सोमवार, मई 8, 2000/वैशाख 18, 1922

No. 258] NEW DELHI, MONDAY, MAY 8, 2000/VAISAKHA 18, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2000

सं. 37/2000-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 414(अ).— केंद्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क्य माल (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) को, जब उसका, यथास्थिति, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संप्रवर्तन विभाग) या संबंधित विकास आयुक्त की अधिसूचना द्वारा नियुक्त शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक अनुमोदन बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् ई.ओ.यू. बोर्ड कहा गया है) द्वारा अनुमोदित शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों द्वारा या, यथास्थिति, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संप्रवर्तन विभाग) या संबंधित विकास आयुक्त की अधिसूचना द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ नियुक्त निर्यात प्रसंस्करण जोन अनुमोदन बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् ई.पी.जेड. बोर्ड कहा गया है) द्वारा अनुमोदित इस अधिसूचना के उपाबध-1 में यथा विनिर्दिष्ट निर्यात प्रसंस्करण जोन या किसी मुक्त व्यापार जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् जोन कहा गया है) के भीतर के एककों द्वारा ग्रेनाइट का खदान करने के प्रयोजन के लिए (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रयोजन कहा गया है) किसी ग्रेनाइट खदान में उपयोग के लिए लाया जाता है तो उसे केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् :-

(1) एकक को उक्त प्रयोजन के लिए उक्त माल का उपापन करने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदत्त किया गया है ।

(2) उक्त माल, विनिर्माण कारखाने या भांडागार से सीधे एकक में लाया गया है ।

(3) उक्त माल का उपयोग एकक द्वारा उसके अपने निर्यातोन्मुख एकक या उक्त जोन मे उसके एकक द्वारा निर्यात के लिए ग्रेनाइट की वस्तुओं के और प्रसंस्करण या विनिर्माण या उत्पादन के लिए अभिप्रेत ग्रेनाइट का खदान का करने के प्रयोजनार्थ किया जाता है ।

(4) एकक, सहायक सीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप में और राशि के लिए स्वयं को निम्नलिखित के लिए आबद्ध करते हुए सहायक सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उपसीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के पास एक बंधपत्र निष्पादित करता है :-

(क) उक्त माल का, यथास्थिति, केवल अपने निर्यातोन्मुख एकक या उक्त जोन में अपने एकक के लिए उपयोग करने का ।

(ख) इस अधिसूचना और निर्यात और आयात नीति में अनुबंधित निर्यात बाध्यता और निर्यात के शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन प्रतिशत को पूरा करने और शर्तों का पालन करने का ।

(ग) मांग किए जाने पर उक्त माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के समतुल्य रकम और उक्त माल के शुल्क मुक्त उपापन की तारीख से ऐसे शुल्क के संदाय की तारीख तक उक्त शुल्क पर 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का संदाय करने का, यदि--

(i) पूंजी माल की दशा में, सहायक सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रूप में उसके उपापन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या पांच वर्ष से अनधिक ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो सहायक सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त अपना यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अवधि के भीतर उपर्युक्त रूप में उनका उपयोग न किए जाने के लिए पर्याप्त हेतुक है, अनुज्ञात करे, उक्त माल का संस्थापित किया जाना या अन्यथा उपयोग किया जाना प्रमाणित न किया जा सके ।

(ii) पूंजी माल से अन्यथा माल की दशा में, सहायक सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रूप में उनके उपापन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या सहायक सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अवधि के भीतर उनका उपयोग न किए जाने के लिए पर्याप्त हेतुक है, अनुज्ञात की जाने वाली विस्तारित अवधि के भीतर ग्रेनाइट का खदान किए जाने के संबंध मे या पुनः निर्यात किए जाने के संबंध में उक्त माल का उपयोग किया जाना प्रमाणित न किया जा सके ;

(iii) ऐसे संघटकों, फालतु पुर्जों और खपने वाली सामग्री की दशा में जिसका शुल्क मुक्त उपापन किया गया है, उक्त एकक, उक्त माल के उपापन से एक वर्ष के भीतर या सहायक सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि पर्याप्त हेतुक है, अनुज्ञात की जाने वाली एक वर्ष से अनधिक विस्तारित अवधि के भीतर निर्यात और आयात नीति के परिशिष्ट-1 में यथा विनिर्दिष्ट निर्यात का शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन प्रतिशत (एन.एफ.ई.पी.) और निर्यात निष्पादन (ई.पी.) प्राप्त करने में असफल रहा है :

परंतु सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त निर्यात का शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन प्रतिशत (एन.एफ.ई.पी.) और निर्यात निष्पादन (ई.पी.) की प्राप्ति की अवधि, उपापन की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विस्तारित कर सकता है ।

(5) एकक, उक्त माल और इस प्रकार खदान किए गए ग्रेनाइट का उसके प्रसंस्करण एकक या किसी अन्य निर्यातोन्मुख एकक या उक्त जोन में के एककों को स्थानान्तरण की प्राप्ति, खपत और उपयोग का उचित लेखा रखेगा और विकास आयुक्त द्वारा अधिकथित किए जाने वाले प्ररूप में और रीति से जोन के विकास आयुक्त और सहायक सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के समक्ष सावधिक रूप से ऐसे लेखे प्रस्तुत करेगा ।

(6) उक्त माल का विनिर्माता, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 173-ढ द्वारा यथा उपांतरित उक्त नियमों के नियम 156क और 156ख में अंतर्विष्ट प्रक्रिया का पालन करेगा ।

(7) एकक, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों के अध्याय 10 में अंतर्विष्ट प्रक्रिया का पालन करेगा किंतु इस उपांतरण के साथ कि एकक के प्रभारी सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क द्वारा उक्त केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों में उपबंधित प्ररूप गन-2 में उपबंधित प्रमाणपत्र के स्थान पर इस अधिसूचना के उपाबंध-2 में विनिर्दिष्ट प्ररूप गन-3 में के प्रमाणपत्र का प्रयोग करेगा।

(8) खदानें, एकक के नाम में होंगी, चाहे पट्टे के आधार पर या स्वामिस्व के आधार पर । खदानों की अवस्थिति और क्षेत्र या खदान या खदानों की अवस्थिति में तत्पश्चात् किसी प्रक्रम पर यदि कोई पश्चातवर्ती परिवर्तन होता है तो वह एकक द्वारा विकास आयुक्त और सहायक सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को प्रज्ञापित किया जाएगा ।

(9) सहायक सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, उन शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो वह विनिर्दिष्ट करे और निर्यात और आयात नीति के उपबंधों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित के लिए अनुज्ञात कर सकेगा :-

(क) एकक द्वारा खदान किए गए ग्रेनाइट का जोन में अन्य निर्यातोन्मुख एकक या एककों को शुल्क के संदाय के बिना प्रदाय करना ;

(ख) उक्त माल को मरम्मत करके उन्हें वापस लाने के लिए शुल्क का संदाय किए बिना अस्थाई रूप से बाहर ले जाया जाना ;

(ग) एकक द्वारा उक्त माल का पुनः निर्यात करना ;

(घ) बेकार पूंजी माल का शुल्क का संदाय किए बिना, सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों की उपस्थिति में नष्ट किया जाना ।

(10) उक्त माल को एकक के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए किसी स्थल या खदान में अंतरण या स्थानांतरण, सहायक सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त की अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा ।

(11) प्रयुक्त किए जाने वाले उक्त माल के लेखे खदान स्थल पर उचित रूप में सन्निर्मित कार्यालय में रखे जाएंगे जिससे कि जब और जहां अपेक्षित हो उनका सत्यापन किया जा सके ।

(12) इस प्रकार खदान किए गए माल को खदान स्थल से ग्रेनाइट के प्रसंस्करण या ग्रेनाइट वस्तुओं के उत्पादन या विनिर्माण में लगे हुए उक्त जोन में एकक के अपने प्रसंस्करण एकक या उसके निर्यातोन्मुख एकक को अथवा उस जोन में किसी ऐसे अन्य शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक या एककों को प्रदाय के लिए हटाया जा सकेगा जो ग्रेनाइट वस्तुओं के प्रसंस्करण या उत्पादन या विनिर्माण और उसके निर्यात में लगे हों किंतु उस अवस्था में उसका निर्यात या देशी टैरिफ क्षेत्र में उसकी निकासी अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सहायक सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, उन शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो वह राजस्व हित की उचित रक्षा के लिए मामले की परिस्थितियों के अधीन आरोपित करना ठीक समझे और वह विकास आयुक्त की ऐसी अनुज्ञा के भी अधीन रहते हुए जो निर्यात और आयात नीति के अधीन अनन्य रूप से अपेक्षित हो, निर्यात और आयात नीति के अनुसार उक्त माल को भारत में किसी अन्य स्थान पर निकासी किए जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा--

(क) पूंजी माल की निकासी, ऐसे माल पर उसके अवक्षयित मूल्य पर उद्ग्रहणीय और उक्त शुल्क के संदाय की तारीख को प्रवृत्त दर पर उत्पाद-शुल्क के समतुल्य रकम का संदाय करने पर अनुज्ञात की जा सकेगी ;

(ख) पूंजी माल से भिन्न माल की निकासी, ऐसे माल पर, विनिर्माण कारखाने से निकासी के समय उनके संपूर्ण मूल्य पर ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के संदाय की तारीख को प्रवृत्त दरों पर उत्पाद-शुल्क का संदाय करने पर अनुज्ञात की जा सकेगी :

स्पष्टीकरण-- खंड (क) के अंतर्गत आने वाले माल की बाबत अवक्षयण, खदान में उसके उपयोग की तारीख से शुल्क के संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

[फा. सं. 305/33/2000-एफ. टी. टी.]

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

टिप्पण :- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, निर्यात और आयात नीति से, समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/(आर.ई.-99)/1997-2002 तारीख 31 मार्च, 2000 द्वारा प्रकाशित निर्यात और आयात नीति, 1997-2002 अभिप्रेत है ।

सारणी

1. हाइड्रॉलिक एक्सकेवेटर
2. न्यूमैटिक कंप्रेसर
3. जैक हैमर
4. हाइड्रॉलिक ड्रिलिंग मशीन
5. लाइन ड्रिलर
6. फ्रन्ट एन्ड लोडर
7. न्यूमैटिक ग्राइंडर
8. डायमंड वायर सॉ
9. ड्रेसिंग मशीन
10. कोर ड्रिलिंग मशीन
11. जेट बर्नर
12. क्रेन
13. डेरिक
14. टिपर और डंपर
15. वैल्डिंग मशीन
16. जेनरेटिंग सेट
17. इस्पात की जंजीरें और रस्सियां
18. डी-शैकल
19. डायमंड वायर

20. डायमंड सेगमेंट
21. टंगस्टन कार्बन ड्रिल रॉड
22. इस्पात फैदर्स और वैज
23. बर्नर नोजल
24. वैल्डिंग रॉड
25. हाइड्रॉलिक तेल और स्नेहक
26. विस्फोटक
27. छैनी, हथौड़े, चेन पुली ब्लॉक
28. इस्पात पिलो किट
29. डस्ट कलेक्टर
30. खपतयोग्य सामग्री और औजार

उप बंध-1

जोन का नाम

1. सान्ता क्रुज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण जोन ।
2. कांडला मुक्त व्यापार जोन ।
3. फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन ।
4. मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन ।
5. नोएडा निर्यात प्रसंस्करण जोन ।
6. कोचीन निर्यात प्रसंस्करण जोन ।
7. विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण जोन ।
8. सूरत निर्यात प्रसंस्करण ।
9. के-फोम निर्यात प्रसंस्करण जोन, कांदिवली, मुंबई ।

टिप्पण:- जोन में वे स्थान समाविष्ट होंगे जिन पर अधिकारिता वाले सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा इस निमित्त जारी की गई सार्वजनिक/व्यापार सूचना में विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण संख्याएं होंगी और जो विनिर्दिष्ट सीमाओं से परिवेष्टित होंगे ।

उपबंध 2

सं. ..... तारीख.....

प्ररूप ग.न.3

बंधपत्र के अधीन आने वाला उत्पाद-शुल्क्य माल

यह प्रमाणित किया जाता है :

(1) श्री / मैसर्स ..... (नाम और पता) सद्भाविक अनुज्ञप्ति धारी है जिनकी अनुज्ञप्ति की सं. .....है और वह ..... तक विधिमान्य है ।

(2) कि उसने / उन्होंने प्ररूप ख-17 (साधारण प्रतिभू / साधारण प्रतिभूति) में सं. ..... तारीख ....., ... रु. के लिए ..... (सहायक केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त) के समक्ष एक बंधपत्र निष्पादित किया है ।

(3) कि उसके / उनके प्राधिकृत अभिकर्ता अर्थात् श्री ..... के नमूना हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं जो सम्यक्तः अनुप्रमाणित हैं ।

स्वामी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर	हस्ता./- अनुप्रमाणित	निर्यात प्रसंस्करण जोन के शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या एकक का प्रभारी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2000

No. 37/2000-Central Excise

G.S.R. 414(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944(1 of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957(58 of 1957), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts excisable goods specified in the Table below (hereinafter referred to as the said goods), when brought for use in a granite quarry for the purpose of quarrying of granite

(hereinafter referred to as the said purpose), by hundred percent export oriented units approved by the Board of Approvals for hundred percent export oriented units, appointed by a notification of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), or the Development Commissioner concerned, as the case may be, (hereinafter referred to as the said EOU Board) or by units within an Export Processing Zone or a Free Trade Zone specified in Annexure-I to this notification (hereinafter referred to as the Zone), approved by the Board of Approvals for Export Processing Zone appointed by a notification of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) or the Development Commissioner concerned, as the case may be, for the said purpose (hereinafter referred to the said EPZ Board), from the whole of duty of excise leviable thereon under section 3 of the Central Excise Act, 1944(1 of 1944) and the additional duty of excise leviable thereon under section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957(58 of 1957), subject to the following conditions, namely:-

(1) The unit has been granted necessary approval for procurement of said goods for the said purpose.

(2) The said goods are brought directly to the unit from the factory of manufacture or from the warehouse.

(3) The said goods are used by the unit for the purpose of quarrying of granite meant for further processing or manufacture or production of articles of granite for export by its own export oriented unit or its unit in the Zone.

(4) The unit executes a bond with the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise or Deputy Commissioner of Customs or Central Excise in the prescribed form and for such sum as may be specified by the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise or Deputy Commissioner of Customs or Central Excise, binding itself:-

(a) to use the said goods only for its own export oriented unit or its unit in the zone, as the case may be;

(b) to fulfil the export obligation and Net Foreign Exchange Earning as a Percentage of Export and comply with conditions stipulated in this notification and the Export and Import Policy ;

(c) to pay on demand an amount equal to the duty as leviable on the goods and interest at the rate of 20% per annum on the said duty from the date of duty free procurement of the said goods till the date of payment of such duty, if -

(i) in the case of capital goods, such goods are not proved to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise or Deputy Commissioner of Customs or Central Excise to have been installed or otherwise used within a period of one year from the date of procurement thereof or within such extended period not exceeding five years as the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise or Deputy Commissioner of Customs or Central Excise may, on being satisfied that there is sufficient cause for not using them as above within the said period, allow;

(ii) in case of goods other than capital goods, such goods are not proved to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise or Deputy Commissioner of Customs or Central Excise to have been used in connection with the quarrying of granite or re-exported within the period of one year from the date of procurement thereof or within such extended period as the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise or Deputy Commissioner of Customs or Central Excise may, on being satisfied that there is sufficient cause for not using them as above within the said period, allow;

(iii) in case of components, spares and consumables procured duty free, the unit fails to achieve the Net Foreign Exchange Earning as a Percentage of Exports (NFEP) and Export Performance (EP) as specified in Appendix-1 of the Export and Import Policy within one year of procurement of such goods or within such extended period, not exceeding one year, as the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise or Deputy Commissioner of Customs or Central Excise may on being satisfied that there is sufficient cause, allow:

Provided that the Commissioner of Customs or Central Excise may extend the period of achievement of Net Foreign Exchange Earnings as a Percentage of Export (NFEP) or Export Performance (EP) for further period not exceeding five years from the date of procurement.

(5) The unit maintains a proper account of receipt, consumption and utilisation of the said goods and of granite so quarried and transferred to his processing unit or to any other export oriented unit or units in the Zone, and shall submit such accounts periodically to the Development Commissioner of the Zone and to the Assistant Commissioner of

Customs or Central Excise or Deputy Commissioner of Customs or Central Excise, in such form and in such manner as may be laid down by the Development Commissioner

(6) The manufacuturer of the said goods follows the procedure contained in rules 156A and 156B of the Central Excise Rules, 1944 (hereinafter referred to as the said Rules) as modified by rule 173 N of the said Rules.

(7) The unit follows the procedure contained in the Chapter X of the Central Excise Rules, 1944 with the modification that the certificate in form CT-3, as specified in Annexure II to this notification shall be used by the Customs or Central Excise Officer-in-charge of the unit in place of the certificate in form CT-2 provided in the said Central Excise Rules.

(8) The quarries are in the name of the unit either on 'lease-basis' or on ' ownership basis'. The location and area of quarries or any subsequent change in location of quarry or quarries at a later stage, shall be intimated by the unit to the Development Commissioner and the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise or Deputy Commissioner of Customs or Central Excise.

(9) The Assistant Commissioner of Customs or Central Excise or Deputy Commissioner of Customs or Central Excise may, subject to such conditions and limitations as he may specify and subject to the provisions of the Export and Import Policy, allow –

(a) the unit to supply granite so quarried to other Export Oriented Units or units in the Zone without payment of duty;

(b) the said goods to be taken out temporarily without payment of duty for repairs and return thereof;

(c) the unit to export the said goods;

(d) destruction of obsolete capital goods without payment of duty, if such goods are destroyed in the presence of the Customs or Central Excise Officer.

(10) The said goods shall not be transferred or shifted to any other site or quarry owned or taken on lease by the unit without permission of the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise or Deputy Commissioner of Customs or Central Excise.

(11) The accounts of the said goods used at the quarrying site shall be kept in the site in a properly constructed office to enable the verification of the same as and when required.

(12) The goods so quarried shall be removed from the quarry site only for supply to unit's own processing unit in the Zone or Export-Oriented Unit or for supply to an other hundred percent Export-Oriented Unit or the units in the Zone engaged in processing or production or manufacture of articles of granite and export thereof and shall not be allowed to be exported as such or to be cleared in Domestic Tariff Area.

2. Without prejudice to any other provision contained in this notification, the Assistant Commissioner of Customs or Central Excise or Deputy Commissioner of Customs or Central Excise may, subject to such conditions and limitations as he may deem fit to impose under the circumstances of the case for the proper safeguard of the revenue interest and also subject to such permission of the Development Commissioner, where it is exclusively required under the Export and Import Policy, allow the unit to clear the said goods to any place in India in accordance with the Export and Import Policy-

(a) such clearance of capital goods may be allowed on payment of an amount equal to the excise duty leviable on such goods on the depreciated value thereof and at the rate in force on the date of payment of such duty;

(b) such clearance of goods other than capital goods, may be allowed on payment of excise duty leviable on such goods on the full value at the time of their clearance from the factory of manufacture and at the rates in force on the date of payment of such excise duty.

Explanation.-- The depreciation in respect of goods covered by clause (a) shall be allowed for the period from the date of their use in a quarry to the date of payment of duty.

[F. No. 305/33/2000-FTT]

RAJENDRA SINGH, Under Secy.

Note: For the purpose of this notification Export and Import Policy means the Export and Import Policy, 1997–2002 published by the Government of India under the Ministry of Commerce, notification number 1(RE-99)/ 1997-2002, dated 31st March, 2000, as amended from time to time.

TABLE

1. Hydraulic Excavators
2. Pneumatic Compressors
3. Jack Hammers
4. Hydraulic Drilling Machines
5. Line Drillers
6. Front End Loaders

7. Pneumatic Grinders
8. Diamond Wire Saws
9. Dressing Machine
10. Core Drilling Machine
11. Jet Burners
12. Cranes
13. Derricks
14. Tippers and Dumpers
15. Welding Machine
16. Generating sets
17. Steel Chains and Steel Ropes
18. D-Shackles
19. Diamond Wires
20. Diamond Segments
21. Tungsten Carbon Drill Rods
22. Steel Feathers & Wedges
23. Burner Nozzle
24. Welding Rods
25. Hydraulic Oil and Lubricants
26. Explosives
27. Chisels, Hammers, Chain Pulley Blocks.
28. Steel Pillow Kits
29. Dust Collector
30. Consumables and tools

ANNEXURE-I

Name of the Zone

1. Santa Cruz Electronics Export Processing Zone.
2. Kandla Free Trade Zone.
3. Falta Export processing Zone.
4. Madras export Processing Zone

5. Noida Export Processing Zone.
6. Cochin Export processing Zone.
7. Vishakhapatnam Export Processing Zone.
8. Surat Export processing.
9. Kay foam Export processing Zone, Kandivili, Mumbai.

Note: The Zone shall comprise of places bearing survey numbers and enclsoed by boundaries as may be specified by the jurisdictional Commissioner of Customs in a Public/Trade Notice, issued in this behalf.

ANNEXURE-II

No.---------- Date----------

FORM C.T.3

Certificate for removal of excisable gods under bond

This is to certify that :

(1) Mr./Messrs----------(Name and address) is/are bona fide licensee holding licence No.----------valid upto----------

(2) That he/they has/have executed a bond in Form B-17 (General Surety/General Security).
No.---------date--------for Rs.-------- with the [Assistant Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Central]----------and as such may be permitted to

remove ---------(quantity) of ---------- (excisable goods) from the unit at --------to their undertaking ----------at ----------.

(3) that the specimen signatures of his/their authorised agent, namely, Shri --- ----are furnished here below duly attested;

Specimen Signatures
owner or his
Authorised agent

Sd/-
Attested

Central Excise Officer-in-charge
of the hundred percent Export
Oriented Undertaking or unit in EPZ.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2000

सं. 58/2000-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 415(अ).— केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट माल (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) को, जब उसका, यथास्थिति, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संप्रवर्तन विभाग) या संबंधित विकास आयुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त ई.ओ.यू. बोर्ड कहा गया है) की अधिसूचना द्वारा नियत शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक अनुमोदन बोर्ड द्वारा अथवा, यथास्थिति, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संप्रवर्तन विभाग) या विकास आयुक्त की अधिसूचना द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियत निर्यात प्रसंस्करण जोन अनुमोदन बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् ई.पी.जेड. बोर्ड कहा गया है) द्वारा अनुमोदित किसी मुक्त व्यापार जोन या इस अधिसूचना के उपाबध-1 में यथा विनिर्दिष्ट निर्यात प्रसंस्करण जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् जोन कहा गया है) के भीतर एककों द्वारा ग्रेनाइट का खदान करने के प्रयोजन के लिए (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रयोजन कहा गया है) किसी ग्रेनाइट खदान में उपयोग के लिए भारत में आयात किया जाता है या उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 57 या धारा 58 के अधीन, यथास्थिति, नियत या अनुज्ञा प्राप्त किसी पब्लिक भांडागार या प्राइवेट भांडागार से उपाप्त किया जाए, तो उसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है :-

(1) आयातकर्ता को उक्त प्रयोजन के लिए उक्त माल का आयात करने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदत्त किया गया है ।

(2) उक्त माल का उपयोग आयातकर्ता द्वारा उसके अपने निर्यातोन्मुख एकक या उक्त जोन में उसके एकक द्वारा निर्यात के लिए ग्रेनाइट की वस्तुओं के और प्रसंस्करण या विनिर्माण या उत्पादन के लिए अभिप्रेत ग्रेनाइट का खदान करने के प्रयोजनार्थ किया जाता है ।

(3) आयातकर्ता, माल के आयात के समय, सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप में और राशि के लिए स्वयं को निम्नलिखित के लिए आबद्ध करते हुए एक बंधपत्र निष्पादित करता है :-

(क) उक्त माल का उपयोग, यथास्थिति, केवल अपने निर्यातोन्मुख एकक या उक्त जोन में अपने एकक के लिए करने का ।

(ख) निर्यात बाध्यता को पूरा करने और इस अधिसूचना और निर्यात और आयात नीति में अनुबंधित शर्तों का पालन करने के लिए ।

(ग) मांग किए जाने पर उक्त माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के समतुल्य रकम और शुल्क मुक्त आयात या उक्त माल के उपापन की तारीख से ऐसे शुल्क के संदाय की तारीख तक उक्त शुल्क पर 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का संदाय करने के लिए, यदि--

(i) पूंजी माल की दशा में, सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रूप में उसके आयात या उपापन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या पांच वर्ष से अनधिक ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त अपना यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अवधि के भीतर उपर्युक्त रूप में उनका उपयोग न किए जाने के लिए पर्याप्त हेतुक है, अनुज्ञात करे, उक्त माल का संस्थापित किया जाना या अन्यथा उपयोग किया जाना प्रमाणित न किया जा सके ।

(ii) पूंजी माल से अन्यथा माल की दशा में, सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रूप में आयात या उनके उपापन की तारीख से एक वर्ष के भीतर या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अवधि के भीतर उनका उपयोग न किए जाने के लिए पर्याप्त हेतुक है, अनुज्ञात की जाने वाली विस्तारित अवधि के भीतर ग्रेनाइट का खदान किए जाने के संबंध मे या पुनः निर्यात किए जाने के संबंध में उक्त माल का उपयोग किया जाना प्रमाणित न किया जा सके ;

(iii) ऐसे संघटकों, फालतु पुर्जों और खपने वाली सामग्री की दशा में जिसका शुल्क मुक्त आयात या उपापन किया गया है, उक्त एकक उक्त माल के आयात और उपापन से एक वर्ष के भीतर या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि पर्याप्त हेतुक है, अनुज्ञात की जाने वाली एक वर्ष से अनधिक विस्तारित अवधि के भीतर निर्यात और आयात नीति के परिशिष्ट-1 में यथा विनिर्दिष्ट निर्यात का शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन प्रतिशत (एन.एफ.ई.पी.) और निर्यात निष्पादन (ई.पी.) प्राप्त करने में असफल रहा है :

परंतु सीमाशुल्क आयुक्त शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन प्रतिशत (एन.एफ.ई.पी.) और निर्यात निष्पादन (ई.पी.) की प्राप्ति की अवधि, आयात या उपापन की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विस्तारित कर सकता है ।

(4) आयातकर्ता, उक्त माल और उसके प्रसंस्करण एकक या किसी अन्य निर्यातोन्मुख एकक या उक्त जोन में के एककों को इस प्रकार खदान किए गए और स्थानांतरित ग्रेनाइट के आयात, खपत और उपयोग का उचित लेखा रखेगा और विकास आयुक्त द्वारा अधिकथित किए जाने वाले प्ररूप में और रीति से जोन के विकास आयुक्त और सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त के समक्ष सावधिक रूप से ऐसे लेखे प्रस्तुत करेगा ।

(5) खदानें, आयातकर्ता के नाम में होंगी, चाहे पट्टे के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर । खदानों की अवस्थिति और क्षेत्र या खदान या खदानों की अवस्थिति में तत्पश्चात् किसी प्रक्रम पर कोई पश्चातवर्ती परिवर्तन होता है तो वह आयातकर्ता द्वारा विकास आयुक्त और सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त को प्रज्ञापित किया जाएगा ।

(6) सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त, उन शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो वह विनिर्दिष्ट करे और निर्यात और आयात नीति के उपबंधों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित के लिए अनुज्ञात कर सकेगा :-

(क) आयातकर्ता द्वारा खदान किए गए ग्रेनाइट का जोन में अन्य निर्यातोन्मुख एकक या एककों को शुल्क के संदाय के बिना प्रदाय करना ;

(ख) उक्त माल को मरम्मत करके उन्हें वापस लाने के लिए शुल्क का संदाय किए बिना अस्थाई रूप से बाहर ले जाया जाना ;

(ग) आयातकर्ता द्वारा उक्त माल का पुनः निर्यात करना ;

(घ) बेकार पूंजी माल का शुल्क का संदाय किए बिना, सीमाशुल्क अधिकारियों की उपस्थिति में नष्ट किया जाना ।

(7) उक्त माल को एकक के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए किसी स्थल या खदान में अंतरण या स्थानांतरण सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त की अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा ।

(8) प्रयुक्त किए जाने वाले उक्त माल के लेखे खदान स्थल पर उचित रूप में सन्निर्मित कार्यालय में रखे जाएंगे जिससे कि जब और जहां अपेक्षित हो उनका सत्यापन किया जा सके ।

(9) इस प्रकार खदान किए गए माल को खदान स्थल से ग्रेनाइट के प्रसंस्करण या ग्रेनाइट वस्तुओं के विनिर्माण में लगे हुए उक्त जोन में आयातकर्ता के एकक या उसके निर्यातोन्मुख एकक में हटाया जा सकेगा किंतु उस अवस्था में उसका निर्यात या देशी टैरिफ क्षेत्र में उसकी निकासी अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त, उन शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो वह राजस्व हित की उचित रक्षा के लिए मामले की परिस्थितियों के अधीन आरोपित करना ठीक समझे और वह विकास आयुक्त उक्त एकक को ऐसी अनुज्ञा के भी अधीन रहते हुए जो निर्यात और आयात नीति के अधीन अनन्य रूप से अपेक्षित हो, निर्यात और आयात नीति के अनुसार उक्त माल को भारत में किसी अन्य स्थान पर निकासी किए जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा--

(क) पूंजी माल की ऐसी निकासी, ऐसे माल पर उसके अवक्षयित मूल्य पर उद्ग्रहणीय और उक्त

शुल्क के संदाय की तारीख को प्रवृत्त दर पर सीमाशुल्क के समतुल्य रकम का संदाय करने पर अनुज्ञात की जा सकेगी ;

(ख) पूंजी माल से भिन्न माल की ऐसी निकासी आयात के समय मूल्य पर और ऐसे सीमाशुल्क के संदाय की तारीख को प्रवृत्त दरों पर सीमाशुल्क का संदाय करने पर अनुज्ञात किया जा सकेगा :

परंतु आयातकर्ता, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं. 98.01 के अधीन आने वाले माल को लागू छूट या अबंधन के समय प्रवृत्त अधिसूचनाओं के अनुसार विहित शुल्क की दर पर पूंजी माल का आयात अनुज्ञात करने वाली किसी निर्यात संप्रवर्तन पूंजी माल स्कीम से भिन्न किसी निर्यात संप्रवर्तन स्कीम के अधीन आयातित माल के लिए उपलभ्य छूट का उपभोग करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण– खंड (क) के अंतर्गत आने वाले माल की बाबत अवक्षयण, खदान में उनके उपयोग की तारीख से शुल्क के संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

[फा. सं. 305/33/2000-एफ. टी. टी.]

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

टिप्पण :- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, निर्यात और आयात नीति से, समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/(आर.ई.-99)/1997-2002 तारीख 31 मार्च, 2000 द्वारा प्रकाशित निर्यात और आयात नीति, 1997-2002 अभिप्रेत है ।

सारणी

1. हाइड्रॉलिक एक्सकेवेटर
2. न्यूमैटिक कंप्रेसर
3. जैक हैमर
4. हाइड्रॉलिक ड्रिलिंग मशीन
5. लाइन ड्रिलर
6. फ्रन्ट एन्ड लोडर
7. न्यूमैटिक ग्राइंडर
8. डाइमंड वायर सॉ
9. ड्रेसिंग मशीन
10. कोर ड्रिलिंग मशीन
11. जेट बर्नर
12. क्रेन
13. डेरिक
14. टिपर और डंपर
15. वैल्डिंग मशीन
16. जेनरेटिंग सेट
17. इस्पात की जंजीरें और रस्सियां

18. डी-शैकल

19. डायमंड वायर

20. डायमंड सेगमेंट

21. टंगस्टन कार्बन ड्रिल रॉड

22. इस्पात फैदर्स और वैज

23. बर्नर नोजल

24. वैल्डिंग रॉड

25. हाइड्रॉलिक तेल और स्नेहक

26. विस्फोटक

27. छैनी, हथौड़े, चेन पुली ब्लॉक

28. इस्पात पिलो किट

29. डस्ट कलक्टर

30. खपतयोग्य सामग्री और औजार

उपाबंध-1

जोन का नाम

1. सान्ता क्रुज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण जोन ।

2. कांडला मुक्त व्यापार जोन ।

3. फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन ।

4. मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन ।

5. नोएडा निर्यात प्रसंस्करण जोन ।

6. कोचीन निर्यात प्रसंस्करण जोन ।

7 विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण जोन ।

8. सूरत निर्यात प्रसंस्करण ।

9. के-फोम निर्यात प्रसंस्करण जोन, कांदिवली, मुंबई ।

टिप्पण:- जोन में वे स्थान समाविष्ट होंगे जिन पर अधिकारिता वाले सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा इस निमित्त जारी की गई सार्वजनिक/व्यापार सूचना में विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण संख्याएं होंगी और जो विनिर्दिष्ट सीमाओं से परिवेष्टित होगा ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2000

No. 58/2000-Customs

G.S.R. 415(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in the Table below (hereinafter referred to as the said goods), when imported into India or procured from a public warehouse or private warehouse appointed or licensed, as the case may be, under section 57 or section 58 of the said Customs Act, for use in a granite quarry for the purpose of quarrying of granite (hereinafter referred to as the said purpose), by hundred percent export oriented units approved by the Board of Approvals for hundred percent export oriented units, appointed by a notification of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), or the Development Commissioner concerned, as the case may be, (hereinafter referred to as the said EOU Board) or by units within a Free Trade Zone or Export Processing Zone as specified in Annexure-I to this notification (hereinafter referred to as the Zone), approved by the Board of Approvals for Export Processing Zone appointed by a notification of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Policy & Promotion) or the Development Commissioner, as the case may be, for the said purpose (hereinafter referred to the said EPZ Board), from the whole of duty of the customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely:-

(1) The importer has been granted necessary approval for the import of the goods for the said purpose.

(2) The said goods are used by the importer for the purpose of quarrying of granite meant for further processing or manufacture or production of articles of granite for export by his own export-oriented unit or his unit in the Zone.

(3) The importer, at the time of import of goods, executes a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, binding himself:-

(a) to use the said goods only for his own export oriented unit or his unit in the Zone, as the case may be.

(b) to fulfil the export obligation and to comply with conditions stipulated in this notification and the Export and Import Policy.

(c) to pay on demand an amount equal to the duty as leviable on the said goods and interest at the rate of 20% per annum on the said duty from the date of duty free importation or procurement of the said goods till the date of payment of such duty, if -

(i) in the case capital goods, such goods are not proved to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs to have been installed or otherwise used within a period of one year from the date of importation or procurement thereof or within such extended period not exceeding five years as the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs may, on being satisfied that there is sufficient cause for not using them as above within the said period, allow;

(ii) in case of goods other than capital goods, such goods are not proved to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs to have been used in connection with the quarrying of granite or re-exported within the period of one year from the date of importation or procurement thereof or within such extended period as the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs may, on being satisfied that there is sufficient cause for not using them as above within the said period, allow;

(iii) in the case of components, spares and consumables imported or procured duty free, the unit fails to achieve the Net Foreign Exchange as a Percentage of Exports (NFEP) and Export Performance (EP) as specified in Appendix-1 of the Export and Import Policy within one year of importation and procurement of such goods or within such extended period not exceeding one year as the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs may, on being satisfied that there is sufficient cause, allow:

Provided that the Commissioner of Customs may extend the period of achievement of Net Foreign Exchange Earning as a Percentage of Exports (NFEP)

or Export Performance (EP) for further period not exceeding five years from the date of importation or procurement.

(4) The importer maintains a proper account of import, consumption and utilisation of the said goods and of granite so quarried and transferred to his processing unit or to any other Export Oriented Unit or units in the Zones, and shall submit such accounts periodically to the Development Commissioner of the Zone and to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, in such form and in such manner as may be laid down by Development Commissioner.

(5) The quarries shall be in the name of the importer either on 'lease-basis' or on ' owner ship basis'. The location and area of quarries or any subsequent change in location of quarry or quarries at a later stage , shall be intimated by the importer to the Development Commissioner and the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs.

(6) The Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs may, subject to such conditions and limitations as he may specify and subject to the provisions of Export and Import Policy, allow –

(a) the importer to supply granite so quarried to other Export Oriented Unit or units in the Zone without payment of duty;

(b) the said goods to be taken out temporarily without payment of duty for repairs and return thereof;

(c) the importer to re-export the said goods;

(d) destruction of obsolete capital goods without payment of duty when such goods are destroyed in the presence of the Customs .

(7) The said goods shall not be transferred or shifted to any other site or quarry owned or taken on lease by the unit without permission of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs.

(8) The accounts of the said goods used at the quarrying site shall be kept at the site in a properly constructed office so as to enable verification of the same as and when required.

(9) The goods so quarried shall be allowed to be removed from the quarry site to the importer's unit in the Zone or to his Export Oriented Unit, engaged in processing of granite or manufacturing of granite articles and shall not be allowed to be exported as such or to be cleared in Domestic Tariff Area .

2. Without prejudice to any other provision contained in this notification, the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs may, subject to such

conditions and limitations as he may deem fit to impose under the circumstances of the case for the proper safeguard of the revenue interest and also subject to such permission of the Development Commissioner, where it is exclusively required under the Export and Import Policy, allow the unit to clear the said goods to any other place in India in accordance with the Export and Import Policy -

(a) such clearance of capital goods may be allowed on payment of an amount equal to the customs duty leviable on such goods on the depreciated value thereof and at the rate in force on the date of payment of such duty;

(b) such clearance of goods other than capital goods may be allowed on payment of customs duty on the value at the time of import and at the rates in force on the date of payment of such customs duty:

Provided that the importer shall not be eligible to avail of the exemption applicable to goods falling under heading 98.01 of the First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), or the exemption available to the imported goods under any Export Promotion Scheme other than the Export Promotion Capital Goods Scheme permitting import of capital goods at the rate of duty prescribed in terms of notifications in force at the time of debonding.

Explanation.- The depreciation in respect of goods covered by clause (a) shall be allowed for the period from the date of their use in a quarry to the date of payment of duty.

[F. No. 305/33/2000-FTT]

RAJENDRA SINGH, Under Secy.

Note: - For the purpose of this notification, Export and Import Policy means the Export and Import Policy, 1997–2002 published by the Government of India under the Ministry of Commerce, notification number 1/ (RE-99)/ 1997-2002 ,dated 31st March, 2000 as amended from time to time.

TABLE

1. Hydraulic Excavators
2. Pneumatic Compressors
3. Jack Hammers
4. Hydraulic Drilling Machines

5. Line Drillers
6. Front End Loaders
7. Pneumatic Grinders
8. Diamond Wire Saws
9. Dressing Machine
10. Core Drilling Machine
11. Jet Burners
12. Cranes
13. Derricks
14. Tippers and Dumpers
15. Welding Machine
16. Generating sets
17. Steel Chains and Steel Ropes
18. D-Shackles
19. Diamond Wires
20. Diamond Segments
21. Tungton Carbon Drill Rods
22. Steel Feathers & Wedges
23. Burner Nozzle
24. Welding Rods
25. Hydraulic Oil and Lubricants
26. Explosives
27. Chisels, Hammers, Chain Pulley Blocks.
28. Steel Pillow Kits
29. Dust Collector
30. Consumables and tools

ANNEXURE-I

Name of the Zone

1. Santa Cruz Electronics Export Processing Zone.
2. Kandla Free Trade Zone.
3. Falta Export processing Zone.

4. Madras export Processing Zone
5. Noida Export Processing Zone.
6. Cochin Export processing Zone.
7. Vishakapatnam Export Processing Zone.
8. Surat Export processing.
9. Kay-foam Export processing Zone, Kandivili, Mumbai.

Note : The Zone shall comprise of places bearing survey numbers and enclosed by boundaries as may be specified by the jurisdictional Commissioner of Customs in a Public/Trade Notice, issued in this behalf.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.